भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *180
गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढावा देने हेतु योजनाएं</u>

*180. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के संवर्धन के लिए कोई विशेष अनुदान आवंटित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में नए सौर पार्कों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का खरगोन बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मध्य प्रदेश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 14.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 180 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के सभी क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

(ग) सरकार ने "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" के लिए योजना के तहत मध्य प्रदेश में कुल 4180 मेगावाट क्षमता के 8 सौर पार्क स्वीकृत किए हैं, इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सौर पार्क का नाम	क्षमता (मेगावाट में)
रीवा सौर पार्क	750
मंदसौर सौर पार्क	250
नीमच सौर पार्क	500
आगर सौर पार्क	550
शाजापुर सौर पार्क	450
ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क	600
छतरपुर सौर पार्क	450
बरेठी सौर पार्क	630

घ) खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र में जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ङ) मध्य प्रदेश में विचाराधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)
1.	अमहटा-II एसएचपी	3.80
2.	अमहटा-IV एसएचपी	3.80
3.	जांगड़े एमएचपी	0.10
	कुल	7.70

अनुलग्नक

'नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 14.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 180 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्यान्वित की जा रही प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल सुविधाओं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती है। इस प्रकार, योजना के तहत देश में युटिलिटी स्तर की सौर परियोजनाओं के त्वरित विकास में सहायता की जाती है।
2. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ, स्वदेशी निर्मित सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों का उपयोग करके ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)
3. उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'
4. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैंड-अलोन सौर विद्युत कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के लिए दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलती है, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियां बच जाती हैं।
5. ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप विद्युत संयंत्रों के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II: इस कार्यक्रम के तहत बेसलाइन से अधिक, रूफटॉप सौर में क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए आवासीय क्षेत्र को सब्सिडी और डिस्कॉमों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली तैयार करना। कुल 10 राज्यों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है (जीईसी के दोनों चरणों पर विचार करते हुए)।
   (i) इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-I
   (ii) इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II
7. जैव ऊर्जा कार्यक्रम:
   - अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम: शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेष से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम
   - बायोमास कार्यक्रम: ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
   - बायोगैस कार्यक्रम: पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।
8. अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम (सहायता कार्यक्रम)
9. अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, फैलोशिप, इंटर्नशिप, अक्षय ऊर्जा के लिए लैब अपग्रेडेशन के लिए सहायता और रिन्युएबल एनर्जी चेयर जैसे घटकों के साथ मानव संसाधन विकास योजना।
10. ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से 19744 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत।

*****